Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAY-JUNE, 2022, VOL- 10/71

अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

धर्मेन्द्र ना. शंभरकर[1] & नोमी[2]
[1]सहायक प्रोफेसर, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा (महाराष्ट्र)
[2]एम.एड., म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा (महाराष्ट्र)

Paper Received On: 22 JUNE 2022
Peer Reviewed On: 27 JUNE 2022
Published On: 28 JUNE 2022

Abstract

वर्ग और जाति के साथ समाज में जाति आधारित लैंगिक असमानता देखने को आसानी से मिल जाती है।यह व्यवस्था स्कूल तक भी पहुँचती है। इस शोध का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि क्या शिक्षा और उसको संचालित करने वाले स्कूल जैसी संस्थाएं वंचित वर्ग की बालिकाओं को स्थान देती है? वर्तमान समय में अनुसूचित जाति/जनजाति बालिका शिक्षा पर जितने भी शोध हुए हैं उनकी विवेचना से स्पष्ट होता है कि बालिका शिक्षा पर अभी भी शोध करने की आवश्यकता है। यह शोध शिक्षक समुदाय से जुडा है जो बताता है कि 'अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिका शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षकों की अभिवृत्ति कैसी है? वे इस समुदाय के प्रति कितने जागरूक हैं और किस तरह से इस वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय में अपने होने को महसूस कराते हैं। इस शोध से यह पता चलेगा कि अध्यापकों का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण कैसा है ? जो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

वर्तमान समय में शिक्षा समाज के विकास के लिए महत्वपुर्ण कड़ी है। शिक्षा एक ओर जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होता है वहीं दूसरी ओर समाज राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ नागरिक एवं युवा शक्ति तैयार करती है,साथ ही मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती है। यह एक सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसमें सीखना समाहित है और इस सीखने में निरंतरता होती है। यह सीखने की निरंतरता अनुभव द्वारा, अध्ययन द्वारा और सृजन द्वारा प्राप्त की जाती है। सीखने की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों द्वारा संपन्न

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

होती रहती है। औपचारिक सीखना एक निश्चित समय के लिए होता है जिसमें सीखने का समय, कौन सिखाएगा? क्या सिखाया जायेगा? कब तक सिखाया जायेगा? कौन सीखेगा? का निर्धारण पूर्व नियोजित होता है एवं अनौपचारिक सीखने में किसी निश्चित समय की आवश्यकता नहीं होती है। औपचारिक सीखने में जिन संस्थाओं का योगदान होता है उन पर राज्य का अधिकार होता है और अनौपचारिक सीखने में जिन संस्थाओं का योगदान होता है, वह समाज द्वारा संचालित और अधिकृत होती हैं।शिक्षा मानव की एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है, जो उसके बौद्धिक स्तर को दर्शाता है। शिक्षा का महत्त्व मानव जीवन के लिए वैसा ही है। शिक्षा केवल ज्ञान-प्रदान नहीं करती, संस्कार और सरूचि के अंकुरों का पालन भी करती है। इस परिपेक्ष्य में नारी शिक्षा और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज रूपी रथ के दो पहिये होतें हैं- पुरुष व नारी। एक शिक्षित नारी दो कुलों को शिक्षित करती है तथा भावी संतान को शिक्षित करने के साथ, समान रूप से पुरुषों के कंधे-से-कंधा मिलाकर अर्थोपार्जन करती है तथा प्रगतिशील रूप आधुनिक है, जो समाज, सभ्यता तथा संस्कृति तथा राष्ट्रोत्थान में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से दूर रहा है। हालात तो यह है कि देश की आधी आबादी यानि महिला शिक्षा का ग्राफ भी काफी कम है। शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के न होने और जागरूकता के अभाव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, स्वच्छकार, विमुक्त एवं घुमंतु जाति के लोग शिक्षा के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं। इस वर्ग में बालिकाओं की शिक्षा का ग्राफ तो अभी भी काफी पीछे है। इसका एक बड़ा कारण इनकी बसावट भी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग सुदूर ग्रामीण इलाके, नदियों के किनारे और जंगलों के बीच रहते हैं। इस वजह से भी ये स्कूलों की पहुचं से दूर रहे हैं। जाहिर-सी बात है कि इस वर्ग के ज्यादातर लोग अभी भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इनमे से ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जहाँ आजादी के छह दशक बाद भी विकास की किरणें नहीं पहुचं पाई हैं। ऐसे में इनको शिक्षा से जोड़े बिना संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा नहीं हो सकता है। इसी अवधारणा को लेकर केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। विभिन्न कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता बढानें की भी कोशिश की गई। बालिकाओं में शिक्षा का प्रवाह अति आवश्यक है। हमारे देश में बालिका शिक्षा का स्तर काफी पिछड़ा है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बालिकाओं में शिक्षा का खासा अभाव है। इसका कारण यह है कि बच्चें स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा यह कि अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरुकता की कमी है। वैसे तो प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा जरुरी है जो अपने पारिवारिक माहौल से निकलकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाए। जिससे बच्चों में चरित्र का निमार्ण होगा।

अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में देश की अन्य गैर अनुसूचित जाति की तुलना में काफी पीछे हैं। यह भारत के शिक्षाविदों एवं शैक्षिक विकास से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के सम्मुख एक गंभीर समस्या है। क्योंकि इस वर्ग की महिलाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन के कई

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कारण है, जिनमें आर्थिक कारणों के साथ-साथ जातीय भेदभाव कथा अस्पृश्यता जैसे अनेक सामाजिक कारण भी विद्यमान है यद्यपि अनुसूचित वर्ग के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए गये है जिनमें प्रमुख रूप से कबीरदास, रैदास, गुरुनानक, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, रामा स्वामी पेरियार, छत्रपति शाहूजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ.भीमराव अंबेडकर आदि के योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

केंद्रीय सरकार की योजनाएं

क्र .	योजना	उद्देश्य
1.	मध्यान भोजन योजना (1955)	प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना तथा उन्हें पोषक आहार उपलब्ध कराना।
2.	शिक्षा सहयोग योजना (2001)	निर्धन परिवारों के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा का खर्च उठाने में माता पिता की आर्थिक सहायता करना।
3.	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना (2004)	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना (2004)
4.	एकल बालिका नि:शुल्क शिक्षा योजना (2005)	एकल बालिका वाले परिवार की लड़की को सी.बी.एस.ई स्कुल में कक्षा 12वी तक नि:शुल्क शिक्षा मिलना।
5.	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना (2006)	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना (2006)
6.	माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना (2008)	लड़कियों को माध्यमिक विद्यालयों में दाखिले को प्रोत्साहन देने और 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा सुनिश्चित करना।

बालिका शिक्षा हेतु राज्य सरकारों की योजनायें

योजना	उद्देश्य
नि:शुल्क स्कूली ड्रेस योजना (2005)	शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत 5वीं तक की सभी ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र की बालिकाओं को नि:शुल्क, यूनिफार्म प्रदान करना।
नि:शुल्क साईकल उपहार योजना (2004)	माध्यमिक स्तर की पढ़ाई करने बालिकाओं को प्रोत्साहित करना। अनुसूचित जाति व जनजाति तथा गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली लड़कियों को दुसरे गावं या शहर की शालाओं में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना।
लाड़ली बेटी योजना (2005)	किसी भी परिवार की दूसरी बेटी को सर्कार की लाड़ली बेटी घोषित कर उसके समुचित पोषण व शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना।
बालिका संरक्षण योजना (1996)	निर्धनतम परिवार की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग देना।
गणवेश तथा पाठ्यपुस्तक प्रदान योजना	बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
गाँव की बेटी योजना (2005)	शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्रामीण बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने हेतु सहयोग राशि उपलब्ध करना।
प्रतिभा किरण योजना	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली नगरीय क्षेत्र की उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए सहयोग राशि उपलब्ध करना।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्र/छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन के सन्दर्भ में, इन्होंने तमिलनाडु में शोध अध्ययन किया और निष्कर्ष स्वरुप में पाया कि अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में अपव्यय बहुत अधिक था। अधिकाश (67.22) अनुसूचित जाति के विद्यार्थी निरक्षर परिवारों से आते थे तथा उनकी आर्थिक दशा अत्यंत निम्न स्तर की थी। वे विद्यालय में चल रहे पाठ्यक्रम को समझने में कठिनाई का अनुभव करते थे (आदिशेषय्या एवं रामानाथन, 1979)। पूर्वी सिक्किम की अनुसूचित जातियों के मध्य विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति का अध्ययन किया। अध्ययन स्वरुप ज्ञात हुआ कि अभिभावकों की निर्धनता के कारण बच्चों ने विद्यालय छोड़े व निम्न स्वास्थ्यवर्धक तत्व, विद्यालय में वर्ष भर होने वाले नवीन प्रवेश का अनियंत्रित होना, भवन एवं मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना एवं शिक्षकों का अप्रशिक्षित होना आदि जैसें अन्य घटकों ने विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। अभिभावकों ने अनुभव किया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली उनके बच्चों की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी अत: अनुपयोगी पाठ्य-पुस्तक एवं पाठ्यक्रम ने अनुसूचित जाति के विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की (लोहर, 1988)। अनुसूचित जाति के प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। यह अध्ययन महाराष्ट्र के देवगढ़ तालुका के विशेष संदर्भ में किया गया है। देवगढ़ तालुका के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों पर यह अध्ययन किया। शोधकर्ता ने पाया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बढ़ा है, साथ ही साथ ड्रॉपआउट रेट घटा है (कामब्ली, 1992)। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्कूली छात्राओ की मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक समस्याओं के सन्दर्भ में इन्होंने अपने शोध में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं के मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया। शोध अध्ययन का उद्देश्य दिल्ली स्थित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं के मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक समस्याओं की प्रकृति एवं स्वरुप को ज्ञात कर उनका संभावित निराकरण प्रस्तुत करना है। इन्होंने अपने शोध में न्यादर्श दिल्ली राजधानी क्षेत्र के चुनिंदा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाएं थी। कुल 500 न्यादर्श छात्राएं अभिभावकों और शिक्षकों को सम्मलित किया गया। अध्ययन का अभिकल्प में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। छात्राओं से प्राप्त तत्वों का गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों विधियों से विश्लेषण किया गया। शोध उपकरण में उपलब्ध मानकीकृत प्रश्नावली एवं स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। उन्होंने अपने शोध अध्ययन में पाया कि 90% छात्राओं ने बताया पारिवारिक वित्तीय संकट और परिवार का आकार बड़ा, उपयुक्त अध्ययन स्थल का अभाव 70% छात्राओं ने बताया कि अभिभावकों का शिक्षित ना होना तथा उचित मार्गदर्शन ना मिलना 70% अभिभावकों के अनुसार छात्राओं के पारिवारिक स्तर, अध्ययन की उचित व्यवस्था ना

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

होना, तथा आस पास के उपयुक्त वातावरण की कमी को दर्शाया। उच्च शिक्षित अभिभावकों की छात्राएं बच्चों एवं अल्पशिक्षित अभिभावकों की छात्राएं दोनों में सामाजिक सामंजस्य में भिन्नता है (यदुलाल, 2010)।

शोध का उद्देश्य

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा के समक्ष आने वाले समस्याओं तथा अवरोधकों का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में माध्यमिक स्कूल में बालिका शिक्षा के नामाकंन और ड्रॉप आउट, दर का अध्ययन करना।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में अध्यापकों की बालिका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
4. विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन विधि :- शोध उद्देश्य की प्राप्ति या परिकल्पना की पुष्टि शोध की विभिन्न विधियों द्वारा होती है। शोध विधि, शोध कार्य को संपादित करने का वो ढंग है जो समस्या के प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार स्पष्ट है की शोध विधियाँ विभिन्न प्रकार के शोधों में स्पष्ट व विस्तृत विभेद करने वाली विशेषताएँ हैं। अत: प्रस्तुत लघु शोध समस्या की विशेष वस्तु को ध्यान में रखते हुए मिश्रित शोध विधि का चयन किया गया हैं।

जनसंख्या:-प्रस्तुत लघु शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा जनसंख्या के रूप में महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले के विद्यालयों में पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को सम्मिलित किया गया है।

प्रतिदर्श:- प्रस्तुत अध्ययन शोध के लिए शोधकर्ता द्वारा अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सोद्देश्यपरक विधि का उपयोग करते हुए प्रतिदर्श के रूप में महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अंतर्गत कुल 7 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों (न्यू इंग्लिश, सुशील हिम्मत सिंग माध्यमिक विद्यालय, स्वावलंबी माध्यमिक विद्यालय, स्वावलंबी कन्या विद्यालय, म्यू कमला नेहरू विद्यालय, जगजीवन माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्र भाषा माध्यमिक विद्यालय, रत्नीबाई माध्यमिक विद्यालय) के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 50 शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में चयनित किया।

प्रयुक्त उपकरण उपकरण:- प्रस्तुत लघु शोध कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा समस्या से सम्बंधित उपकरण उपलब्ध न होने के परिणाम स्वरूप निर्देशक के निर्देशन में शोधार्थी ने स्वयं समस्याओं तथा अवरोधकों के लिए साक्षात्कार अनुसूची, उपलब्ध सुविधाओं के लिए साक्षात्कार अनुसूची, अध्यापकों का बालिका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति जानने हेतु अभिवृत्ति मापनी (तीन बिंदु लिकर्ट विधि) का निर्माण किया गया,जिसके अंतर्गत कुल 21 कथन दिए गए।अभिवृत्ति मापनी में प्रत्येक कथन को 3विकल्प दिए गए, जिसमें सभी कथनों के उत्तर को सकारात्मक (3,2,1) एवं नकारात्मक (1,2,3)अंक दिए गए।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या:- प्रस्तुत अध्याय में उपयुक्त शोध विधियों के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या को सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से की गया है और उसका विस्तृत विश्लेषण, सूचनाओं की व्याख्या एवं सांमान्यीकरण के निरूपण प्रस्तुत किया गया है।

उद्देश्य-1 : अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा के समक्ष आने वाले समस्याओं तथा अवरोधकों का अध्ययन करना- शोध कार्य के प्रथम उद्देश्यअनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा के समक्ष आने वाले समस्याओं तथा अवरोधकों का अध्ययन करने की पूर्ति प्रतिभागी साक्षात्कार के द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया गया।आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात् उसका विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है। शोधकर्त्ता ने साक्षात्कार के दौरान प्रतिभागियों से अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं की अधिगम कठिनाइयों पर बातचीत के दौरान यह सामने आया कि इस समुदाय से आने वाली बालिका विद्यार्थियों में अधिगम से जुडी कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। इन कठिनाईयों में वे दो प्रकार के विशेषकों को उजागर करते हैं। पहला वे जो बालिकाओं के स्व से जुडी हैं जिनमें डरा-सहमा रहना, खुद को कमजोर समझना, आत्मविश्वास की कमी, पढाई में रूचि न होना आदि। साथ ही दूसरे प्रकार की कठिनाईयाँ सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार और परिवार में प्रथम अधिगमकर्ता के रूप में होना एवं शैक्षणिक माहौल की कमी आदि आयाम सम्बंधित किये गए। सामाजिक संस्था से जुडी कठिनाई जैसे- पारिवारिक जिम्मेदारियों से जूझना, घरेलु वातावरण, शैक्षिक अनुकूल न होना आदि। स्पष्ट है कि प्रतिभागी मानते हैं कि वंचित वर्ग के विद्यार्थियों में अधिगम से जुडी कठिनाईयाँ होती हैं पर वे यह भी स्वीकार करते हैं कि उपरोक्त कठिनाईयों को दूर किया जा सकता है।दूर करने का उपाय अतिरिक्त कक्षाओं में व्यक्तिगत शिक्षण से संभव है।इन अतिरिक्त कक्षाओं में केवल वंचित वर्ग के लिए सुधारात्मक कक्षाओं का आयोजन होता है।शिक्षिका बताती है कि: ***"इस वर्ग के बच्चो में आत्मविश्वास की कमी होती है और इनका बेसिक बहुत कमजोर होता है।साथ ही इनका घर जंगल में होने के साथ-साथ स्कूलों से दूर होता है एवं इनके अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है***।" यह कथन स्पष्ट करता है कि प्रतिभागी इस बात को मानते है कि इन बच्चों में आत्मविश्वास कम होता है जिसके कारण वे पढ़ने में रूचि नहीं लेते हैं।चूँकि यह बच्चे 'प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता' होते हैं इसलिए इनका आधार कमजोर होता है। शिक्षिका स्पष्ट करती है कि यह प्रकृति में रहने वाले लोग हैं इसलिए स्कूल दूर होता है। इस विवेचना इस तरह से भी की जा सकती है कि जंगल ऐसी जगह है जहाँ पर स्कूल नहीं होता है।इस वजह से इनके साथ अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। वे मानती हैं कि वंचित वर्ग अतिरिक्त मेहनत मांगता है तब वे आगे बढ़ते हैं।

सामान्य विद्यार्थियों का वंचित वर्ग के साथ व्यवहार पर प्रतिभागी बताते हैं कि **"*छात्राओं का व्यवहार वंचित बालिकाओं के साथ निम्न दर्जे का होता है और वे अपना दोस्त बनाने में हिचकिचाती है। वे यह भी पहचानती हैं कि कौन किस जाति का है*।"** कथन से स्पष्ट है कि अभी भी विद्यालयों में समाज द्वारा आया सामंती सोच का नजरिया विद्यालय जैसी दुनियां में बना

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हुआ है। यही कारण है कि वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को दोस्त नहीं बनाया जाता है, उनकी जाति देखी जाती है और उनकी पहचान उसकी जाति होती है। शिक्षा इस तरह की कुरीतियों को कमजोर तो कर रही है लेकिन अभी भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह शिक्षकों का व्यवहार वंचित बालिकाओं के प्रति अच्छा है। सभी एक ही जबाव देते हैं कि अच्छा व्यवहार किया जाता है लेकिन अच्छे की विवेचना करने से बचते हैं।

प्रतिभागी बताते हैं कि वंचित बालिकाओं में एकांकीपन को दूर करने के लिए अपने द्वारा सृजित कुछ उपायों को करते हैं जिनमें मुख्य रूप से 'समूह संवाद'। इस तरह से हम एक दूसरे के विचारों से जुड़ते हैं साथ ही एक दूसरे के बारे में जानते हैं और उनके महत्त्व को समझते हैं। इस वर्ग कि बालिका विद्यार्थियों को उनकी अच्छाइयों पर उन्हें प्रेरित करते हैं। यह प्रेरणा उनके लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। कक्षा के सामने उनका परिचय करवाया जाता है जिससे एक दूसरे को सभी जान सकें और उनके होने को स्वीकार सकें।

उद्देश्य-2 : अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में माध्यमिक स्कूल में बालिका शिक्षा के नामाकंन और ड्रॉप आउट, दर का अध्ययन करना- शोध कार्य के द्वितीय उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में माध्यमिक स्कूल में बालिका शिक्षा के नामाकंन और ड्रॉप आउट, दर का अध्ययन करने के लिए शोधार्थी द्वारा द्वितीय आकड़ो के एकत्रित करने के लिए विद्यालय में उपस्थित दस्तावेज़ की सहायता से वर्ष 2018-19 की अनुसूचित जाति/जनजाति बालिकाओं के नामांकन एवं ड्रॉप आउट की जानकारी ली गयी ।

तालिका-1 अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा में नामाकंन और ड्रॉप आउट, दर का विश्लेषण

कक्षा	6		7		8		कुल	
वर्ष	2018-19		2018-19		2018-19			
वर्ग	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST
आंकडे विद्यालय								
न्यू इंग्लिश	17	7	21	7	17	6	55	20
राष्ट्र भाषा	7	2	4	1	3	4	14	7
स्वाबलंबी कन्या	2	1	1	1	5	2	8	4
स्वाबलंबी(सामान्य)	1	1	1	1	3	2	5	4
सुशील हिम्मत सिंह	19	7	13	9	17	7	49	23
कमला नेहरु	3	1	7	3	4	1	14	5
जगजीवन	1	1	3	1	4	2	8	4
कुल							153	67

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका-1 में विद्यालय ने सिर्फ एक वर्ष के आंकड़ों को देना उचित समझा, अन्य किसी और वर्ष के आंकड़े देने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने एक वर्ष के आंकडे देते हुए कहा कि मेरे यहाँ ड्राप आउट दर शून्य है। शोध में वर्धा जिले के साथ विद्यालय से प्रदत्यों का संकलन किया गया है। सभी सातों विद्यालय के आंकडे उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित हैं।सभी विद्यालयों में कुल अनुसूचित जाति की बालिकाओं की संख्या 153 है और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या 67 है। स्पष्ट है कि यदि विद्यालय इस बात को संबोधित कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय में ड्राप आउट दर शून्य है तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वंचित समुदाय की बालिकाओं को विद्यालय में बनाए रखने में सफल है। क्योंकि विद्यालय उभयनिष्ठ सुविधाएँ मुहैया करा रहा है। इस वजह से इन विद्यालयों में ड्राप आउट दर शून्य है। उपरोक्त सभी आंकड़े अध्ययन वर्ष 2018-19 के हैं।

उद्देश्य-3 : अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में शिक्षकों की बालिका शिक्षा के प्रतिअभिवृत्ति का अध्ययन करना- प्रस्तुत अध्याय में शोध कार्य के तीसरे उद्देश्य की पूर्ति हेतु ' अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना' आकड़ो का संग्रहण किया है ।

तालिका- 2 शिक्षकों की बालिका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का स्तर

वर्ग अन्तराल	संख्या	प्रतिशत	अभिवृत्ति का स्तर
63-50	47	94	उच्च
49-36	3	6	औसत
35-21	0	0	निम्न

उपुरोक्त तालिका-2 के अवलोकन के आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि 94% शिक्षकों की अनुसूचित जाति/जनजाति बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का स्तर उच्च और औसत 98% का पाया गया। लेकिन सर्वाधिक आवृत्ति 50-63 के बीच पायी गयी है जो यह दर्शाता है की बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षक उच्च अभिवृत्ति रखे है । उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि निम्न प्रकार की अभिवृत्ति में कोई भी शिक्षक नहीं पाया गया ।

उद्देश्य-4 : विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के बालिकाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करना- शोध कार्य के चतुर्थ उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार उपकरण की विवेचना कर उसे निम्न आयामों में विभाजित कर उसका विश्लेषण किया गया जो इस प्रकार है –

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्र.सं.	आयाम	विशेषज्ञों की राय	प्रतिभागियों की संख्या
19	शौचालय	हाँ	सभी सदस्य 30
20	सैनेटरी और स्वास्थ्य	नहीं विद्यालय इसके लिए निष्क्रीय है ,	सभी सदस्य 30
21	शारीरिक शिक्षा और गतिविधियाँ	हाँ	सभी सदस्य 30
22	पुस्तकालय	हाँ	सभी सदस्य 30
23	बैठने की सुविधा	हाँ	सभी सदस्य 30

प्रतिभागी बताते हैं कि अध्ययनरत अनुसूचित जाति और जनजाति के बालिकाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं हेतु विद्यालय पुस्तकालय, बैठने की व्यवस्था एवं शारीरिक शिक्षा से जुडी गतिविधियाँ और शौचालय जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह सुविधाएँ सभी के लिए न केवल वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम पाएंगे कि यह सुविधाएँ विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान हैं लेकिन वंचित समुदाय के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। यह एक अच्छा विचार है कि समानता के लिए सभी एक संसाधन का उपयोग करें।लेकिन बालिकाओं के लिए सैनेटरी से जुडी सुविधा पर सभी विद्यालय उदासीन हैं। वे मानते हैं कि विद्यालय प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की पहल नहीं की जाती।

शोध निष्कर्ष- प्रस्तुत शोध में प्रदत्त विश्लेषण के उपरांत शोधकर्ता ने 'अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन' विषय पर शोधकार्य करने के बाद पाया कि अध्यापक वंचित समुदाय की बालिकाओं के प्रति जागरूक तो हैं परन्तु उनकी जागरूकता में केवल सुचना सम्मिलित है। वे जानते हैं कि वंचित वर्ग की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं और स्कूल उन समस्याओं से उभरने के लिए आंशिक रूप से नैतिक उपाय अपनाते है। नीतिगत मसले उनके लिए जानकारी मात्र के लिए हैं बल्कि इसलिए नहीं कि अमुक नीतिओं से वंचित वर्ग का कैसे भला होगा? वे मानते हैं कि वंचित समुदाय के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय में नामांकन और सभी के साथ समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देता है।

प्रथम शोध उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा के समक्ष आने वाली समस्याओं तथा अवरोधकों पर शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वंचित वर्ग की बालिकाओं की अधिगम समस्याएँ होती हैं परन्तु उसके लिए प्रतिभागी वंचित समुदाय की शैक्षिक, आर्थिक और सामजिक पृष्ठभूमि को जिम्मेदार मानते हैं। प्रतिभागी इस बात को मानते हैं कि यह विद्यार्थी प्रथम अधिगमकर्त्ता हैं इसलिए भी अवरोधक है क्योंकि उन्हें घर पर कोई निर्देश नहीं मिलता है।

द्वितीय उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा में नामांकन और ड्रॉप आउट, दर का अध्ययन करने के लिए शोधार्थी द्वारा द्वितीय आकड़ों के एकत्रित करने के लिए विद्यालय में उपस्थित दस्तावेज़ की सहायता से वर्ष 2018-2019 की नामांकन एवं ड्रॉप आउट दर की जानकारी ली गयी। शोध अध्ययन से पता चलता है कि शोध परिसीमा में शामिल

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सभी सात विद्यालयों में बालिका विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट दर शून्य पाई गयी। शोधकर्ता ने पाया की विद्यालयों में ड्रॉप आउट न होने का कारण यह है कि वंचित वर्ग के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाता है तथा बच्चों की सुविधानुसार परीक्षा प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है।

तृतीय शोध उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में शिक्षकों की बालिका शिक्षा के प्रतिअभिवृत्ति का अध्ययन करने के पश्चात् पाया कि है कि 94% शिक्षकों की अनुसूचित जाति/जनजाति बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का स्तर उच्च और औसत 98% का पाया गया। जो यह दर्शाता है कि शिक्षक बालिका शिक्षा के प्रति उच्च अभिवृत्ति रखते है।

चतुर्थ शोध उद्देश्य के अंतर्गत विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के बालिकाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करने के बाद शोधार्थी ने पाया कि विद्यालय में शौचालय, शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय, बैठक व्यवस्था, सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैंऔर इन सुविधाओं का उपयोग वंचित वर्ग के साथ विद्यालय के सभी बच्चे करते हैं। इसी कड़ी में एक मत सामने आया कि विद्यालय वंचित वर्ग की बालिकाओं के साथ किसी भी वर्ग की बालिकाओं के लिए सैनेटरी और स्वास्थ्य से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है बाबजूद इसके कि सभी अध्यापक इसके बारे में जानकारी रखते हैं।

अत: कहा जा सकता है कि शैक्षिक संस्थानों एवं उनके क्रियाकलापों जैसे-कक्षा में बैठने की व्यवस्था , शिक्षकों की बातचीत,विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों व खेल गतिविधियों आदि में भागीदारी, सहपाठियों से संबंध व विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं आदि में प्रचलित बहिष्करण व भेदभाव के विभिन्न रूपों आदि पर भी चर्चा की गयी है। इस सन्दर्भ में कक्षा समता, समानता, भेदभाव रहित व समावेशी वातावरण बनाने की दिशा में अध्यापकों की भूमिका का उल्लेख किया गया है, जिससे कि वे अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिका विद्यार्थियों के प्रति होने वाले व्यवहार में परिवर्तन लाने व भेदभाव रहित प्रक्रियायें अपनाने के लिए प्रेरित हों। लेकिन शोध सहभागी साक्षात्कार में मानते हैं कि वंचित वर्ग की बालिकाएं पढ़ने में कमजोर होती हैं यह उनका पूर्वाग्रह बना हुआ है पर उसके सापेक्ष वह बताते हैं कि वंचित वर्ग की बालिकाएं पाठ्यसहगामी क्रियाओं में एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता देती हैं। शोध कार्य में एक बात और सामने आई कि सहभागी अध्यापक वंचित वर्ग के पेशों को हीनता की दृष्टी से देखते हैं जैसे- सफाई करना, पोछा मारना, बर्तन धोना इत्यादि पर वे इस से उभरने का रास्ता भी देते हैं। कहते हैं कि शिक्षा ही इन्हें हीन कामों से मुक्त कर सकती है। शोधकर्ता द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है बल्कि हर काम की अपनी पहचान और सम्मान होता है। संवैधानिक प्रावधान पर बात करते हुए प्रतिभागी कहते हैं कि मुझे वंचित वर्ग के अधिकारों के प्रति कोई जानकारी नहीं है। शोधकर्ता द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि शिक्षकों की यह उदासीनता बताती है कि वे इस समुदाय के प्रति कितनी रूचि रखते हैं? और इसके बारे में

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कितना जानने और समझने के लिए तत्पर हैं। शोधकर्ता को स्पष्ट होता है कि यदि एक शिक्षक को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं होगी तो वह अपने विद्यार्थियों में संविधान और स्वंय के अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक करेगा? विद्यालयों में ड्रॉप आउट न होने का कारण यह है कि वंचित वर्ग के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाता है तथा बच्चों की सुविधानुसार परीक्षा प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है। शोध में शामिल विद्यालय के अध्यापक 'सेनेटरी पैड' के बारे में जागरूक तो हैं लेकिन इसकी उपलब्धता के लिए कोई भी पहल नहीं करते। बल्कि सरकार बालिकाओं से जुडी इन सारी सुविधाओं को मुहैया कराती है। फिर भी संस्था लड़कियों को लेकर अपने मानस में रूढ़िवादी धारणाएं बनाए हुए हैं और उनके लिए इस प्रकार की पहल नहीं करते। सामान्य विद्यार्थियों का वंचित वर्ग की विद्यार्थियों के साथ व्यवहार पर शोधकर्ता द्वारा पाया गया कि अभी भी विद्यालयों में समाज द्वारा आया सामंती सोच का नजरिया विद्यालय जैसी दुनियां में बना हुआ है। यही कारण है कि वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को दोस्त नहीं बनाया जाता है, उनकी जाति देखी जाती है और उनकी पहचान उसकी जाति होती है। शिक्षा इस तरह की कुरीतियों को कमजोर तो कर रही है लेकिन अभी भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है।

शैक्षिक निहितार्थ- प्रस्तुत शोध से पता चलता है कि शिक्षा आज भी वंचित वर्ग और उस वर्ग की लड़कियों के लिए आसान रास्ता नहीं है। इन्हें स्कूलिंग देने के लिए विद्यालय, शैक्षिक नीतियाँ और विशेष प्रावधान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शिक्षक भी अपनी अभिवृत्ति सकारात्मक उपायों के साथ बदल रहे हैं। प्रस्तावित शोध निम्नलिखित वर्गों के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है :

5.3.1 भावी शोधार्थियों के लिए

प्रस्तावित शोधकार्य का परिणाम उन शोधार्थी के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है जो अनुसूचित जाति व जनजाति की बालिका शिक्षा से संबंधित शोध कार्य करेंगे। उनके लिए द्वितीयक आंकड़ा उपलब्ध होगा। बालिका शिक्षा से जुड़े शोधकर्ताओं को भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा वे अपने शोध के आधार पर आगे निर्धारित कर सकेंगी कि बालिका शिक्षा में किस प्रकार के सुधार किये जा सकते हैं। शोध के परिणाम यह बताते हैं कि शिक्षकों को वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्टभूमि और उनको अवसरों के लिए कैसे आगे लाये जिससे शिक्षा की दुनियां को वह भी महसूस कर सकें। नीति निर्माताओं के द्वारा भविष्य में बनने वाली योजनाओं में वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देकर अलग से शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान कर सकेंगे। बालिका शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए तथा शिक्षकों के लिए समय-समय पर कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण करें जिससे वहाँ के विद्यार्थी मातृभाषा शिक्षा के साथ ही आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण करें और सभी के साथ समान रूप से शिक्षा ग्रहण करें। साथ ही देश के विकास में योगदान दें।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

आदिशेषय्या,एम.एस. एवं रामानाथन,एस.(1979).*एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन तमिलनाडु,*बूच,एम.बी.(ईडी). सेकंड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन बडौदा. सोसायटी फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 84.

काबले ,पी.आर. (1992). *ऐ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ फैसिलिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द बैकवर्ड क्लासेस प्यूपिल्स इन प्राइमरी स्कूलइन देवगढ़ तालुका महाराष्ट्र,* आदर्शा कंप्रिहेंसिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे. इन एम.बी.बूच (एजुकेशन), फिफ्थ सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, (1), न्यू दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी, 584.

यदुलाल, कुसुम.(2005). *दलित शिक्षा का परिदृश्य,* कलपझ प्रकाशन, नई दिल्ली,169-171.

लोहर, टी.आर. (1988). स्टडी ऑफ द एक्सटेंड ऑफ ड्रॉपआउट अमंग द एस.सी. स्टूडेंट्स ऑफ ईस्ट सिक्किम गंगटोक,अनपब्लिश्ड डिसर्टेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, नई दिल्ली.

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies